

अपने पौन घंटे के भाषण में राहुल गाँधी ने समां जरूर बांधा संसद में

राहुल ने ये संकेत भी दिये कि, "लीडर ऑफ ऑपोज़िशन" की भूमिका में पूरी तरह से आक्रामक तो रहेंगे

-रेणु मित्तल-

राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो- नई दिल्ली, 1 जुलाई। विपक्ष के नेता के रूप में राहुल गाँधी ने अपने पहले भाषण में ही छक्का लगा दिया। भाषण के दौरान प्रधानमंत्री सहित पांच वरिष्ठ केन्द्रीय मंत्रियों ने उनका विरोध करने के लिए हस्तक्षेप करना पड़ा।

आज राहुल गाँधी "एंग्री यंग मैन" के अपने नए अवतार में नजर आए, जहाँ उन्होंने किसी को नहीं बख्शा, ना तो प्रधान मंत्री, ना ही उनकी सरकार और ना ही स्पीकर को, वो लगातार इन पर बार करते रहे।

राहुल गाँधी ने भाजपा समर्थक तथा भाजपा विरोधी ताकतों के बीच गहरी खाई पैदा करके एक नैटिव सैट कर दिया है जिसका अब भाजपा को अनुसरण करना ही होगा। राहुल गाँधी ने अपने मूल बोट बैंक, दलित, पिछड़ों किसानों, गरीबों और मजदूरों, छोटे और मध्यम दुकानदार और उद्यमियों, महिलाओं के अलावा मणिपुर, अग्निवीर, नोटबंदी, जी.एस.टी. के मुद्दे उठाए और कहा कि, कैसे इनका

पर, क्या वे इस भूमिका को आगे भी पूरी तरह चला पायेंगे, क्योंकि सरकार की ओर से पाँच वरिष्ठ मंत्री, जिनमें प्रधानमंत्री शामिल हैं, खड़े हुए, राहुल के भाषण में उठाये गये मुद्दों और आरोपों का जवाब देने के लिये।

इन वरिष्ठ नेताओं ने एक अभियान सा चलाया राहुल के खिलाफ और यह आरोप लगाया राहुल पर कि, वे संपूर्ण हिन्दू समाज को हिन्दू आंतकवादी, देशद्रोही तथा हिंसा में विश्वास रखने वाला मानते हैं।

राहुल ने संसद में यह दस्तक तो दे दी कि, "एंग्री यंग मैन" संसद में आ पहुँचा है, पर, राहुल के लिये आगे की राह बहुत लम्बी है।

उपयोग अडानी व अंबानी जैसे बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुँचाने के लिए किया गया।

उन्होंने भाजपा और आर.एस.एस. पर, उनके हिन्दुत्व व हिन्दुवाद को लेकर भी हमला बोला। राहुल गाँधी ने कहा, भाजपा तथा प्रधानमंत्री का हिन्दुत्व, हिंसा और नफरत से भरा है तथा वो इसका उपयोग अल्पसंख्यकों को लक्ष्य बनाने के लिए

करते हैं। उन्होंने कहा, मोदी ने लोगों के मन में भय पैदा कर दिया है, जिसे अब खत्म करना होगा। हमला जारी रखते हुए राहुल गाँधी ने महंगाई, बेरोजगारी, नीट में भ्रष्टाचार और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किए जाने तथा कई अन्य मुद्दे उठाए।

रोचक है कि, भाजपा ने राहुल गाँधी के विरुद्ध भारी अभियान छेड़ दिया है, जिसमें आरोप लगाया है कि राहुल गाँधी के अनुसार सभी हिन्दू आंतकवादी, राष्ट्रविरोधी हैं तथा हिंसा में विश्वास करते हैं।

कांग्रेस का कहना है कि, भाजपा झूठ फैलाने के लिए अपने संसाधनों का उपयोग करने के लिए जानी जाती है और बार-बार ऐसा होता रहा है।

सार यह है कि, एक घंटा पैतृतालीस मिनट के राहुल गाँधी के भाषण के बाद, वो एक ऐसे नेता के रूप में उभरे हैं जो परिपक्व हो चुका है, भाजपा का सामना करने के लिए तैयार व तत्पर है। बोलते समय आत्मविश्वास से परिपूर्ण राहुल गाँधी ने स्पष्ट कर दिया है कि, विपक्ष के नेता के रूप में वो सभी विपक्षी नेताओं को साथ लेकर चलेंगे और सबके साथ न्याय करेंगे।

यह राजनीति के एक नए ब्रेण्ड की शुरुआत है, जिसे राहुल गाँधी को बरकरार रखना होगा, अब जबकि, उन्होंने इसकी शुरुआत कर दी है। आगे का रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन देश के राजनीतिक मंच पर एंग्री यंग मैन के युग की शुरुआत हो गई है।

विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने मु.मंत्री से मुलाकात की

जयपुर, 1 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से सोमवार को उनके आवास पर वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधि मंडल ने मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों के साथ राजस्थान में सड़क, जल, बिजली, नगरीय विकास और परिवहन क्षेत्र के विषयों पर चर्चा की। इस दौरान प्रदेश के विकास में वर्ल्ड बैंक की भूमिका को लेकर भी विस्तृत चर्चा

मुख्यमंत्री के आवास पर हुई चर्चा में मु.मंत्री भजनलाल ने उन्हें राजस्थान में चल रही विकास परियोजनाओं की जानकारी दी।

हुई। भजनलाल शर्मा ने प्रतिनिधि मंडल के साथ राजस्थान में चल रही परियोजनाओं एवं विभिन्न सेक्टर में किए जा रहे विकास कार्यों सहित भविष्य के विज्ञान की जानकारी साझा की। इस 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल में भावना भाटिया, अनंन बंधोपाध्याय, रीनु अनेजा, तुषार अरोड़ा, राजगोपाल और हर्ष शामिल थे।

राहुल गांधी व भाजपा के बीच नोंक-झोंक ऊंचे स्तर की थी, पर अनिर्णित रही

राहुल ने पुरजोर ढंग से अपने भाषण में कहा कि, जो अपने आपको हिन्दू कहते हैं, चौबीस घंटे "हिंसा व घृणा" फैलाने में जुटे रहे हैं

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जुलाई। राहुल गाँधी ने विपक्ष के नेता की भूमिका में अपने पहले ही भाषण में आज आर.एस.एस.-भाजपा के हिन्दुत्व ब्रेण्ड से सीधी टक्कर लेने का विकल्प चुना। उन्होंने सतारूड पार्टी की लोकसभा में प्रत्यक्ष आलोचना करते हुए कहा कि जो लोग स्वयं को हिंदू कहते हैं, वे चौबीस घंटे हिंसा और नफरत फैलाने में लगे हुए हैं। इस पर सत्ता पक्ष के सदस्यों ने भारी शोर-शरावा किया और प्रधानमंत्री ने भी इस पर जोर दिया कि संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहना एक गंभीर विषय है।

गांधी के पलटवार करते हुए कहा कि वह भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के बारे में बोल रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि भाजपा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आर.एस.एस.) या मोदी ही संपूर्ण हिंदू समाज नहीं है। कांग्रेस नेता ने भगवान शिव का एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

प्र.मंत्री मोदी ने जवाब में तुरन्त कहा कि, पूर्ण हिन्दू समाज को "हिंसात्मक" कहना गंभीर बात है।

राहुल ने प्रत्युत्तर में कहा, मैं संपूर्ण हिन्दू समाज की बात नहीं कर रहा, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। राहुल ने भगवान शिव का चित्र लहराते हुए कहा, इनका मैसेज है, अहिंसा और कभी नहीं घबराने का।

मुझे गर्व है कि, मैं शिव भक्त हूँ तथा घबराया नहीं, जब मुझ पर बीस से अधिक मुकदमे दायर किये गये, मेरा घर ले लिया गया और ई.डी. ने 55 घंटे सख्त पूछताछ की।

राहुल ने यह भी कहा कि, वे खुश हैं कि, वे विपक्ष में हैं। उन्होंने कहा, हमारे लिये "पावर" से बड़ी एक और चीज है और वह है "सत्य"।

फिर राहुल गांधी ने स्पीकर ओम बिड़ला पर आक्रमण किया, यह कह कर कि, वे मोदी समक्ष झुके क्यों? ओम बिड़ला ने जवाब दिया कि, संस्कृति यह सिखाती है कि, बड़ों के सम्मुख झुकना चाहिये।

कर्नाटक सरकार में नेतृत्व परिवर्तन नहीं होगा

कांग्रेस हाईकमान की सिद्धारमैया और शिव कुमार को दो टूक सलाह, सरकार चलाने पर फोकस कीजिए

-लक्ष्मण बैंकट कुची-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जुलाई। कांग्रेस हाईकमान ने कर्नाटक कांग्रेस में चल रही आंतरिक कलह पर सख्त रुख अपनाया है और सरकार में नेतृत्व परिवर्तन की सभी चर्चाओं को खारिज कर दिया। मुख्यमंत्री एस. सिद्धारमैया एवं उप मुख्यमंत्री डी.के. शिव कुमार कुछ दिन पूर्व दिल्ली गए थे। कहा जाता है कि उन्हें वहाँ सख्त निर्देश दिया गया कि वे अपने मतभेद सड़क पर ले जाने की बजाय आपस में सुलह कर लें।

एक ऐसे समय में जब कांग्रेस लोकसभा चुनावों में अपने अच्छे प्रदर्शन के बल पर भारत के विभिन्न प्रदेशों में अपने को पुनःस्थापित कर रही है, सम्झा जाता है कि पार्टी ने कर्नाटक के पार्टी नेताओं से कहा है कि वे किसी भी रूप में नेतृत्व के मुद्दे पर अधिक दबाव नहीं बनाएँ और दोनों नेताओं को आपस में सुलह करने की सलाह देकर वापस प्रदेश भेज दिया।

वापस आने के बाद, जब मीडिया के लोगों ने जोर देकर मुख्यमंत्री

कांग्रेस आलाकमान ने कर्नाटक इकाई की अंतर्कलह पर सख्ती दिखाई और नेतृत्व परिवर्तन की सभी चर्चाओं पर विराम लगा दिया।

कांग्रेस आलाकमान ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार से कहा है कि, वे सारे मतभेद भुलाकर सरकार चलाने पर ध्यान दें, अपनी लड़ाई सड़क पर न ले जाएं।

ज्ञातव्य है कि, कर्नाटक की कांग्रेस इकाई में चल रही भारी उठापट के चलते मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार दिल्ली गए थे। जिसके कारण नेतृत्व परिवर्तन की अटकलें शुरु हो गई थीं।

सिद्धारमैया और डी.के. शिवकुमार के आपसी मतभेदों से भाजपा को भी सरकार गिरने और एन.डी.ए. की सरकार बनाने की उम्मीद थी।

सिद्धारमैया से पूछा तो उन्होंने कहा कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन का मुद्दा केन्द्रीय नेतृत्व, हाईकमान के दायरे में आता है और इस प्रकार के मामलों पर सार्वजनिक रूप से चर्चा नहीं की जाती है। साफ कहें तो न तो मुख्यमंत्री और न

ही उप मुख्यमंत्री ने अपनी बातों में ऐसी कोई चर्चा का जिक्र किया, परंतु उनके नज़दीकी समर्थक ही इस युद्ध को मीडिया में बयानबाजी के माध्यम से लड़ रहे थे। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल

नई दिल्ली, 1 जुलाई। मेधा पाटकर को 5 महीने कैद की सजा सुनाई गई है। ऐक्टिविस्ट को दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में यह सजा दी है। मेधा पाटकर पर आरोप था कि उन्होंने उपराज्यपाल के खिलाफ प्रेस रिलीज जारी की और इससे जनता के बीच उनकी छवि को नुकसान पहुँचाने का प्रयास किया। यही नहीं अदालत ने मेधा पाटकर को आदेश दिया है कि वह 10 लाख रुपये की रकम विनय सक्सेना को दे। यह उनकी

दिल्ली की साकेत कोर्ट ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि केस में यह सजा सुनाई है।

मानहानि की भरपाई के लिए होगी। अदालत के फैसले के बाद मेधा पाटकर की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा कि सत्य को कभी पराजित नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, सत्य कभी हराया नहीं जा सकता। हमने किसी की मानहानि का प्रयास नहीं किया। हम सिर्फ काम करते हैं। इस फैसले को हम ऊपर अदालत में चुनौती देंगे। मेधा (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

योगी आदित्यनाथ व भाजपा हाईकमान के संबंधों में फिर एक बार भूचाल आया?

हाईकमान योगी आदित्यनाथ से खुश नहीं हैं, क्योंकि यू.पी. में भाजपा आधे से ज्यादा सीटों पर हारी है

-श्रीनन्द झा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 1 जुलाई। हाल ही की दो घटनाएँ इस बात का स्पष्ट संकेत दे रही हैं कि कोई चीज पूरी तरह छुपाकर रखी गई है और वह गुप्त बात यह है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व तथा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच के रिश्ते एक बार फिर खराब हो गये हैं।

भाजपा उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से आधी सीटें भी नहीं जीत पाई है। इससे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की छवि बहुत खराब हुई है, क्योंकि इस स्थिति के कारण पार्टी लोकसभा में बहुमत की सीमा रेखा को स्पर्श करने में विफल रही है। समझा जाता है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव प्रचार के अभियान का प्रभाव पूरी तरह गृह मंत्री अमित शाह के पास था। प्रत्याशियों के चयन से लेकर संसाधनों तथा मैनेज-पावर की व्यवस्था उन्हीं की देखरेख में हुई थी। लेकिन साफ जाहिर है कि पार्टी का केन्द्रीय नेतृत्व असफलता की जिम्मेदारी स्वीकार करना नजर नहीं आ रहा है।

योगी आदित्यनाथ को घेरने की रणनीति के अन्तर्गत, केन्द्रीय मंत्री तथा अपना दल (सोनेलाल) नेता अनुपिया पटेल ने हाल ही में मुख्यमंत्री योगी को पत्र लिखकर इस बात पर चिन्ता जताई है कि ओ.बी.सी. तथा एस.टी./एस.सी. अर्थवर्गियों को "सरकारी नौकरियों के लिये अनुपयुक्त" बताते हुए,

पर, योगी समर्थक कह रहे हैं कि, यू.पी. में टिकट वितरण से, चुनाव संचालन तक, सारी जिम्मेवारी अमित शाह के ऊपर थी। पर, हाईकमान, सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने को तैयार नहीं, क्योंकि इससे प्र.मंत्री मोदी की छवि पर भी आघात होता है।

बल्कि, हाईकमान की रणनीति तो हार के मुद्दे पर, योगी आदित्यनाथ को कोसने की है।

इसी रणनीति के तहत, अपना दल नेता व केन्द्र में मंत्री अनुपिया पटेल ने मु.मंत्री योगी को पत्र लिखकर शिकायत की है कि, सरकारी नौकरियों में ओ.बी.सी., एस.सी., एस.टी. उम्मीदवारों का चयन नहीं हो रहा है, यह कहकर कि, उम्मीदवार सरकारी नौकरी के "लायक" नहीं पाया गया। यह पत्र सार्वजनिक रूप से उजागर करके, मु.मंत्री योगी की स्थिति अटपटी करने का प्रयास किया गया है।

मु.मंत्री ने भी तुरन्त जवाब दिया तथा गृह मंत्री अमित शाह के लाइले अफसर, दुर्गा शंकर मिश्रा को "एक्सटेंशन" नहीं दिया और मुख्य सचिव पद से हटा दिया तथा अपने वफादार व नज़दीकी अफसर मनोज कुमार सिंह को मुख्य सचिव बना दिया गया है।

उन्हें अस्वीकार कर दिया गया है। पत्र में मुख्यमंत्री से कहा गया है कि इस अनुचित व्यवहार तुरन्त रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाये जाये। ऐसा माना जा रहा है कि पटेल ने यह पत्र भाजपा नेतृत्व की सलाह पर लिखा था। मीडिया में इस पत्र का प्रकाशन मुख्यमंत्री के लिए परेशानी का सबब बन गया है। ऐसा माना जा रहा है कि योगी ने पलटवार करते (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

सी.बी.आई. के खिलाफ केजरीवाल हाई कोर्ट पहुँचे

नई दिल्ली, 1 जुलाई (वार्ता)। आबकारी नीति 2021-22 (जो विवाद के बाद रद्द कर दी गई) कथित घोटाला मामले के आरोपी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दी गई गिरफ्तारी और विशेष अदालत के

मुख्यमंत्री केजरीवाल ने सी.बी.आई. द्वारा उनकी गिरफ्तारी को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी।

केन्द्रीय जांच एजेंसी को उन्हें हिरासत में देने के आदेश के साथ ही गिरफ्तारी को उचित बताते की टिप्पणी के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटकाया है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के मुकदमे में मार्च से न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल बंद आरोपी केजरीवाल को (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

गहलोत सरकार ने ई.आर.सी.पी. को लटकाया, हमने वादा पूरा किया- मु.मंत्री भजनलाल शर्मा

ई.आर.सी.पी. में विराटनगर को शामिल किए जाने पर आयोजित धन्यवाद सभा में मु.मंत्री ने कहा, किसानों की समृद्धि से प्रदेश खुशहाल होगा

कोटपुतली-बहरोड़/जयपुर, 1 जुलाई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों की समृद्धि के बिना देश और प्रदेश समृद्ध नहीं हो सकता। किसानों की आय बढ़ाने के लिए परंपरागत खेती में बदलाव लाना होगा। बदलते हुए जमाने में किसानों को आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए खेती करनी होगी। शर्मा सोमवार को कोटपुतली-बहरोड़ जिले के ग्राम भांकरा में संशोधित पार्वती-काली सिंध-चंबल लिंक परियोजना (एकीकृत ईआरसीपी) में विराटनगर क्षेत्र को शामिल करने पर आयोजित आभार एवं अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों और कृषि वैज्ञानिकों को उन

कोटपुतली बहरोड़ जिले के भांकरा गांव में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने विराटनगर को पर्यटन क्षेत्र के रूप में विकसित करने का आश्वासन दिया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि, कृषि की उन्नत तकनीक सीखने के लिए राज्य सरकार कृषि वैज्ञानिकों व किसानों को विदेश भी भेजेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की तकलीफ जानता हूँ। पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या है और हम इसी संकट को दूर करने में लगे हैं।

उन्होंने कहा, ई.आर.सी.पी. परियोजना से राजस्थान के 21 जिलों को पानी मिलेगा।

देशों में भेजेगी, जहां पर खेती की उन्नत तकनीक का इस्तेमाल कर खेती की जाती है। वहां से खेती के नए तौर तरीके सीख कर हमारे किसान भाई अपनी

उपज बढ़ा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने सरकार बनते ही मात्र 6 महीने के अल्प समय में संकल्प पत्र के 45 प्रतिशत वादे पूरे कर दिए हैं। इस दौरान किसानों और पशुपालकों को खुशहाल बनाने के लिए राज्य सरकार ने कई फैसले किए हैं। गेहूँ की एमएसपी पर 125 रुपये प्रति क्विंटल का अतिरिक्त बोनास देने, मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ 2 हजार रुपये अतिरिक्त सालाना देने तथा पशुपालकों को किसान गोपाल क्रेडिट कार्ड जारी करने जैसे फैसले किए हैं। इसके अतिरिक्त प्रदेश में 80 हजार से अधिक किसानों को 350 करोड़ रुपये का अल्पकालीन फसली ऋण दिया गया है। (शेष अंतिम पृष्ठ पर)



मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सोमवार को कोटपुतली-बहरोड़ के भांकरा गांव में किसान सभा को संबोधित किया। किसानों की ओर से पार्वती-काली सिंध और चंबल लिंक परियोजना यानी एकीकृत ई.आर.सी.पी. में विराटनगर को भी शामिल करने के लिए अभिनंदन एवं आभार समारोह रखा गया था। किसानों ने मंच पर मुख्यमंत्री को हल भेंट कर उनका आभार जताया तथा धन्यवाद ज्ञापित किया।

विचार बिन्दु

बड़ा सोचो, जल्दी सोचो, सबसे आगे सोचो, विचारों पर किसी का भी एकाधिकार नहीं है। -धीरूभाई अंबानी

तीन नए कानून - राहत या आफत ?

1 जुलाई 2024 से भारत में न्याय प्रक्रिया से संबंधित तीन नए कानून, भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एवं भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू कर दिए गए हैं। इन्हें 25 फरवरी, 2023 को राष्ट्रपति को सहमति प्राप्त हुई थी। ये कानून भारतीय दंड संहिता 1860, आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर लागू हुए हैं। नए कानूनों का मुख्य उद्देश्य यह था कि ब्रिटिश काल के औपनिवेशिक कानूनों के स्थान पर, स्वतंत्र भारत के नागरिकों के लिए, अधिक उपयुक्त कानून बनाए जाएं। एक उद्देश्य यह भी था कि न्यायालय में चलने वाले प्रकरणों में अत्यधिक विलंब को देखते हुए प्रक्रिया में बदलाव किया जाए ताकि नागरिकों को न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय, बिना परेशानी के समय पर मिल सके।

सरकार, नए कानूनों को बहुत प्रगतिशील एवं नागरिकों के हित में बता रही है, वहीं इसका विरोध करने वाले कई सामाजिक कार्यकर्ता एवं अधिवक्ता इन्हें नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करने वाला बता रहे हैं। अब हम नए कानूनों का जनता पर होने वाले प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।

यह उल्लेखनीय है कि इन कानूनों को उस समय संसद द्वारा पारित किया गया जब लोकसभा के 146 विपक्षी सांसदों को सदन से निकाल कर दिया गया था। इस कारण, इन महत्वपूर्ण कानूनों पर, जितनी विस्तृत बहस संसद में होनी चाहिए थी, वह बिल्कुल नहीं हुई। सरकार द्वारा बहुमत के बल पर ये कानून बिना द्विपक्षीय चर्चा के अनुमोदित करा दिए गए।

पहले हम नए कानून के द्वारा जनहित में बनाए गए कुछ प्रावधानों पर प्रकाश डालेंगे। नए कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी घटना की जोरो एफ आई आर किसी भी थाने में दर्ज कराई जा सकती है, चाहे घटना कहीं भी घटित क्यों न हुई हो? 15 दिन के अंदर इसे संबंधित थाना अधिकारी को भिजवा दिया जाएगा। इसका प्रभाव यह होगा कि जिस व्यक्ति के साथ कोई भी घटना घटित होगी, तो उसे किसी भी थाने द्वारा एफआईआर दर्ज करने से मना नहीं किया जाएगा, जैसा कि वर्तमान में कई बार क्षेत्राधिकार के विवाद में कर दिया जाता है।

कुछ छोटे अपराधों में, सजा के स्थान पर सामुदायिक सेवा करने का प्रावधान किया गया है। इस प्रकार का प्रावधान अमेरिका के कानून से लिया गया है। यह किसी छोटे अपराध करने वाले व्यक्ति को अपनी गलती को महसूस करने एवं उस पर प्रायश्चित्त करने का अवसर प्रदान करेगा। यह भविष्य को दृष्टि से राहत प्रदान करने वाला अच्छा सुधारक कदम कहा जा सकता है।

जिन व्यक्तियों पर न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और जो अंडर ट्रायल की तरह जेल में बंद हैं, उन्हें संबंधित अपराध के लिए निर्धारित सजा का एक तिहाई समय पूरा होने पर उन्हें जेल से रिहा किया जा सकेगा। वर्तमान प्रावधान के अनुसार, प्रस्तावित सजा की आधी सजा भुगत लेना आवश्यक था। इससे जेलों में बंद कई कैदियों को राहत मिलेगी और जेलों में अनावश्यक भीड़ भी कम होगी।

कोई गंभीर अपराधों जैसे बालकों के साथ यौन अपराध, बलात्कार, गैररूप आदि के लिए अधिक सजा का प्रावधान किया गया है। नैतिकता का आख्यान देकर या शादी के नाम पर धोखे में रखकर किसी महिला से यौन संबंध बनाने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान किया गया है।

'मोब लिंचिंग' का कोई उल्लेख पुराने कानून में नहीं था। अब इसे अलग अपराध मानते हुए इसके लिए मृत्युदंड तक का प्रावधान किया गया है। इस कड़े प्रावधान के कारण संभावना है कि आने वाले समय में भीड़ द्वारा किसी व्यक्ति को हत्या करने की घटनाएं कम हों।

न्यायिक प्रकरणों में विभिन्न स्तरों पर निरस्तारण की समय सीमा निर्धारित की गई है, जैसे पुलिस को चार्जशीट, न्यायालय में प्रस्तुत करने हेतु 30 दिन का अधिकतम समय दिया गया है। बहस सुनने के बाद 15 दिन में फैसला सुनाना होगा।

उपरोक्त विवरण के अनुसार, जहां इन कानून से कुछ राहत नागरिकों को मिलने की उम्मीद है, वहीं कई अधिवक्ताओं एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं को आशंका है कि नए कानून, तानाशाही व्यवस्था को स्थापित करेंगे एवं एक प्रकार से पूरे देश में पुलिस राज स्थापित हो जाएगा। यह कहने का आधार निम्न है :-

वर्तमान समय में किसी भी व्यक्ति द्वारा थाने में जाने पर उसकी एफआईआर दर्ज किए जाने की अनिवार्यता पुलिस पर थी। अब यह प्रावधान किया गया है कि पहले शिकायत के रूप में उसे पुलिस थाने में दर्ज किया जाएगा और 15 दिन में उस पर अनुसंधान के पश्चात शिकायत सही पाए जाने पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। इससे कई प्रकार के मुकदमे बढ़ने की संभावना है। इस अवाधि के दौरान यह संभावना भी है कि कई प्रकार के साक्ष्यों को प्रभावित कर दिया जाए अथवा मिटा दिया जाए, जिससे अपराध की गंभीरता बहुत कम हो जाएगी। इस दृष्टि से पुलिस में भ्रष्टाचार बढ़ने की आशंका है। जो व्यक्ति पुलिस को स्वार्थ पूर्ण नहीं कर पाएगा, उसकी एफ आई आर दर्ज करने से मना किया जा सकता है। सत्ता का प्रभाव भी इसमें बहुत काम करेगा।

नए कानून में, हालांकि राजद्रोह के अपराध का प्रावधान हटा दिया गया है, किंतु इससे स्थान पर पुलिस को यह अधिकार दे दिया गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को कुछ भी लिखने, बोलने या सोशल मीडिया के ऊपर भी किसी प्रकार की बात करने पर, यदि पुलिस यह समझे कि वह भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है, तो वह संबंधित व्यक्ति को देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर सकती है। यह कोई किसी थानेदार द्वारा भी किया जा सकता है। यह सर्वाधिक है कि पुलिस किस प्रकार सत्ताधारी दल के इशारे काम करती है। इस प्रावधान का बहुत अधिक दुरुपयोग होने की संभावना है और यह नागरिक के अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन है। पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर सकती है और नए प्रावधान के अंतर्गत पुलिस रिमांड की समयवधि भी 15 दिन के स्थान पर 90 दिन कर दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि पुलिस जिसे चाहे उसे गिरफ्तार कर ले और 3 महीने तक अपनी हिरासत में रख सकती है। इस बदलाव को प्रतिगामी कदम के रूप में ही देखा जाएगा।

दृश्य श्रव्य साक्ष्य अर्थात् 'ऑडियो विडियो एडिड्स' और इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नए कानून में मान्यता दी गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि, पुलिस जिसे चाहे उसे किसी अपराध की आड़ में गिरफ्तार कर सकेगी। यह बात किसी से छुपी नहीं है कि किस प्रकार पुलिस का उपयोग, विरोधियों को गलत मामलों में फंसाने के लिए किया जाता है। उदाहरण के लिए यदि कुछ प्रतिबंधित पदार्थ जैसे ड्रग्स, किसी के घर में रख दिया जाए और बाद में उनका ऑडियो विडियो एडिड्स के द्वारा बना लिया जाए, तो उस व्यक्ति को न केवल गंभीर अपराध में पुलिस हिरासत में ले सकेगी अपितु यह भी संभावना है कि ऑडियो विडियो एडिड्स के कारण उसे सजा भी हो जाएगी। किसी के कंप्यूटर से कोई गैरकानूनी मेल भेजा जाना दिखाया जा सकता है।

उपरोक्त प्रावधानों का मुख्य प्रभाव यह होगा कि नागरिकों में एक भय व्याप्त होगा। वैसे भी हमारी पुलिस बहुत निष्पक्ष रूप से काम करने के लिए नहीं जानी जाती है। लाभग 90 प्रतिशत व्यक्ति तो अब, डर के भाव ही सरकार के किसी निर्णय की आलोचना करने से बचेंगे। कुछ साहसी व्यक्ति जैसे- पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता ऐसा करने का प्रयास करेंगे भी, उन्हें सरकार द्वारा पुलिस के माध्यम से किसी न किसी बहाने लंबे समय तक जेल में डाल दिया जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था को पुलिस राज ही तो कहा जाएगा।

पहली बार आतंकवाद और संगठित अपराध को कानूनन परिभाषित किया गया है। इसमें भी संबंधित थाने को पूरा अधिकार दिया गया है कि वह किसी गतिविधि को आतंकवादी गतिविधि मानते हुए, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई कर सके। जो सरकार के निर्णय की आलोचना करते हैं, उन्हें इसके अंतर्गत पुलिस द्वारा हिरासत में लिया जा सकता है। पुलिस किस प्रकार से किसी भी कानून का दुरुपयोग कर सकती है, इसका नवीनतम उदाहरण अरुण राय के विरुद्ध 14 साल पुराने मामले में यू ए पी ए के अंतर्गत प्रकरण चलाने की दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा दी गई स्वीकृति के रूप में सामने आया है। अब नई व्यवस्था के अंतर्गत यह संभावना अधिक बन जाएगी कि जो भी पत्रकार, लेखक, साहित्यकार, सामाजिक कार्यकर्ता या राजनीतिक कार्यकर्ता सरकार के निर्णय का विरोध करेंगे, उन्हें आतंकवादी मानकर पुलिस द्वारा कार्यवाही की जा सकेगी। पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना तब उपयुक्त है जब लोगों का पूरा विश्वास पुलिस में हो और यह विश्वास हो कि वह अनावश्यक रूप से किसी को प्रताड़ित नहीं करेगी एवं निष्पक्ष रूप से जांच करके अपराधी को सजा दिलवाएगी। इस बारे में राजस्थान के एक पूर्व महानिदेशक ने "अपराधियों में डर, आम जनता में विश्वास" का सूत्र वाक्य दिया था। जब तक ऐसा वास्तव में न हो, तब तक पुलिस को अत्यधिक अधिकार दिया जाना उपयुक्त नहीं होगा।

कोलकाता की बार काउंसिल ने नए कानून के लागू होने के विरोध में 1 जुलाई, 2024 को प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया था। बार काउंसिल आर्गु इंडिया के अध्यक्ष ने एक परिपत्र जारी किया है कि कोई भी बार काउंसिल का सदस्य इस प्रकार के प्रोटेस्ट में भाग नहीं लेगा। यह एक प्रकार से चेतावनी है कि यदि कोई प्रोटेस्ट में भाग लेगा तो उसकी बार काउंसिल की सदस्यता को समाप्त किया जा सकता है।

नए कानूनों को लागू करने से विभिन्न स्तर पर न्यायालयों में लंबित प्रकरणों की संख्या में तेजी से वृद्धि हो सकती है। वर्तमान में लंबित आपराधिक प्रकरणों की कुल संख्या देश में 3 करोड़ से अधिक है। लंबित प्रकरणों पर कौन सी प्रक्रिया लागू होगी, इस बारे में अस्पष्टता होने पर न्यायालयों में और प्रकरण बढ़ेंगे, जिसके कारण न्याय समय पर मिलने के स्थान पर और अधिक विलंबित होने की आशंका हो जाएगी।

कई इंटर याचिकाएं इस बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर की गई हैं। अब देखा यह है कि 8 जुलाई, 2024 को जब ग्रीष्मकाश के बाद सर्वोच्च न्यायालय काम करना प्रारंभ करेगा, तब इन याचिकाओं पर उसका क्या दृष्टिकोण रहता है? यदि इन पर कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया गया तो यह कानून पूरे देश में प्रभावशाली रहेगा। अपेक्षा है कि राज्य की पुलिस कुछ इस प्रकार से काम करे जिसे उसकी छवि में परिवर्तन हो और लोगों का विश्वास पुलिस में पैदा हो। यदि ऐसा नहीं हुआ तो नए कानून वांछित उद्देश्य को पूरा करने में सफल नहीं होंगे और आम नागरिकों के लिए यह राहत का कारण बनने के स्थान पर उनके लिए एक आफत का कारण ही बन जाएगा।

सरकार स्वयं भी यदि चाहे तो नए कानून के कुछ प्रावधानों को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है, जैसा कि उन्होंने जनवरी 2024 में दूक ड्राइवर की देशव्यापी हड़ताल के कारण नए कानून की धारा 106(2) के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी थी। इस नियम के अंतर्गत किसी भी वाहन चालक के द्वारा दुर्घटना होने पर दुर्घटना स्थल से, भीड़ द्वारा 1 पिटार्ड के डर से, भाग जाने पर, उसे गंभीर अपराध मानते हुए उसे 10 वर्ष तक की सजा का प्रावधान कर दिया गया था। फिलहाल इस प्रावधान को स्थगित कर दिया गया।

नए कानूनों को कुछ समय तक स्थगित करने के लिए, कई प्रमुख अधिवक्ताओं एवं सामाजिक संस्थाओं ने सरकार को प्रतिवेदन भी दिया था, किंतु सरकार ने इन सब की परवाह किए बिना इन्हें 1 जुलाई 2024 से लागू करने का निर्णय ले ही लिया है।

यह तो भविष्य ही तय करेगा कि नए कानून आम नागरिक के लिए राहत सिद्ध होते हैं या आफत।

-अतिथि सम्पादक, राजेश भागवत (पूर्व आई.एस. अधिकारी)

होम्योपैथी सर्व सुलभ, भरोसेमन्द तथा बीमारियों का जड़ से नाश करने वाली एक विश्वसनीय चिकित्सा पद्धति

होम्योपैथी के जनक हैनिमेन जी की पुण्यतिथि पर विशेष



प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना

आज पूरे विश्व में 2 जुलाई, 2024 को होम्योपैथी के जन्मदाता क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन जी को एक सौ इक्यासीवीं (181वीं) पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति का अविष्कार किया जो आज होम्योपैथी के नाम से शहर में अपना परचम लहरा रही है। इस पर शहर के वरिष्ठ अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग-अलग प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।

हैनिमेन जी स्वयं एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक थे तथा उन्होंने पाया कि एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति कई व काफी बीमारियों को दवा देती है व रोगी पूर्णतया ठीक नहीं हो पाता व इनकी दवाइयों के दुष्प्रभाव काफी हैं। इनके दुष्प्रभावों को देखते हुए हैनिमेन

जी ने अपना मन बदला व इससे आहत होकर उन्होंने एक नई चिकित्सा विधि होम्योपैथी का अविष्कार किया तथा उन्होंने अपना सारा जीवन होम्योपैथी पद्धति को ही अर्पित कर दिया। होम्योपैथी के प्रति रोगियों का विश्वास काफी बढ़ा है। होम्योपैथी की तरफ भारत सरकार व आयुष विभाग भी ध्यान दे रहा है। अब होम्योपैथी चिकित्सा का परिणाम गंभीर बीमारियों में भी सुखद व अच्छा आ रहा है। यह चिकित्सा पद्धति चिकित्सक के लिये बहुत मेहनत मांगती है। रोगियों की आपातकाल परिस्थितियों में भी कई बार चमत्कारिक रूप से होम्योपैथिक दवाइयों का परिणाम काफी अच्छा मिलता है। दुनिया भर में लोग इस पद्धति को काफी महत्व दे रहे हैं। होम्योपैथिक दवाइयों गंभीर महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माता, बच्चों समेत बुजुर्गों के लिये भी सुरक्षित है। होम्योपैथिक चिकित्सा प्रणाली, होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद अधिनियम, 1973 के अंतर्गत भारत में मान्यता प्राप्त चिकित्सा प्रणाली है। भारत देश वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ी होम्योपैथिक दवा निर्माताओं और निर्यातकों में से एक है। वर्तमान में भारत की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अब इलाज की इस पद्धति व प्रक्रिया को अपनाने लगा है। वर्तमान में होम्योपैथी को 85 से अधिक देशों में उपयोग में लाया जाता है तथा लगभग 45 देशों में अलग-अलग प्रणाली के रूप में कानूनी मान्यता प्राप्त है व लगभग 30 देशों में पूरक और वैकल्पिक चिकित्सा के रूप में मान्यता दी गई है।


होम्योपैथी ने भारत में 1839 में उस समय जड़ पकड़ी जब डॉ. जॉन मॉर्टन होनिंग बर्गर ने गलेस्वर तंत्रों के पक्षाघात के लिए महाराजा रणजीत सिंह का सफलतापूर्वक इलाज किया। डॉ. होनिंग बर्गर कलकत्ता में रहने लगे और हैजा चिकित्सक के रूप में काफी लोकप्रियता पाई। बाद में डॉ. राजेन्द्र लाल दत्त, डॉ. एम.एल. सरकार जो कि ख्याति प्राप्त चिकित्सक थे, ने भी होम्योपैथी में प्रेक्टिस करना शुरू किया व डॉ. सरकार ने वर्ष 1868 में प्रथम होम्योपैथिक पत्रिका कलकत्ता जर्नल ऑफ मेडिसिन का संपादन किया। तदोपरान्त वर्ष 1881 में डॉ. पी.सी. मजुमदार, डॉ. डी.एन. राय व अनेक प्रसिद्ध चिकित्सक विद्वानों ने मिलकर प्रथम होम्योपैथिक कॉलेज "कलकत्ता होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज" की स्थापना की। राजमर्मा की बीमारियों के लिए यह एक सुरक्षित, आसान व सर्वसुग्राही पद्धति है। लेकिन इसे किसी सुयोग्य होम्योपैथिक चिकित्सक से परामर्श के बाद ही लेना चाहिए।

होम्योपैथी दवाइयों काफी सस्ती होती है व अन्य पद्धतियों की तुलना में इसका खर्च मात्र 10 से 15 प्रतिशत ही होता है। होम्योपैथी वर्तमान में एक जानी मानी, सर्वाधिक पहचानी जाने वाली महाहृ चिकित्सा पद्धति है। जिसकी शुरुआत 1796 में एक जर्मन एलोपैथिक चिकित्सक सेमुअल क्रिश्चियन फ्रेडरिक हैनिमेन ने की थी। जो स्वयं एक मशहूर एलोपैथ थे तथा

एलोपैथी के साइड-इफेक्ट व दुष्प्रभावों की वजह से होम्योपैथी की ओर अग्रसीत हुए व वर्ष 1796 में इसका अविष्कार किया। व प्रचार-प्रसार किया व लोगों में विश्वास जगाया। तथा 10 अप्रैल को उनके जन्म दिवस पर इसे विश्व होम्योपैथी दिवस के तौर पर हर साल मनाया जाता है। आयुष मंत्रालय द्वारा भी इसे काफी सराहा व बढ़ावा दिया जा रहा है। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति सम, सम्ये, समयति व कांटे से कांटा निकालना इस सिद्धांत पर आधारित है। अतः हर मरीज की बीमारी का इतिहास लक्षणों की आक्रामकता व बीमारी के बारे में जानकर मरीज का इलाज धैर्य पूर्वक शुरू किया जाता है। गंभीर बीमारियों में जैसे फेफड़े, जोड़ों व हड्डी, त्वचा संबंधी यकृत व ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, पोलिया रोग आदि में काफी कारगर है। विभिन्न होम्योपैथिक दवाइयों सुप्रशिक्षित चिकित्सक को देखेख में ही रोग व लक्षणों के आधार पर लेनी चाहिए। ना कि अपने आप से शुरू कर दें। व गंभीर रोग तथा बीमारी का कबू से बाहर हो ही हो तो तत्काल डॉक्टर को दिखाए व सलाह लें। रोजमर्रा व दैनिक जीवन की विषम अवस्थाओं में लक्षणों के आधार पर काम में ली जाने वाली दवाएं, नीचे लिखिए कुछ इस प्रकार हैं।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, आचार्य एवं वरिष्ठ होम्योपैथ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर।



होम्योपैथी के जनक, क्रिश्चियन फ्रेडरिक सेमुअल हैनिमेन।

मेटेलिकम, ब्रायोनिआ एल्बा, पोडो फायलम, चाईना ऑफिसिनैलिस, अर्जेंटम नाईट्रिकम, लाईको पोटैशियम, नक्स चोमिका, बरबेरिस व्लोरिस, बेलेडोना, एकोनाईट, अरेनिका मोंटाना, कैफर, सल्फर, सिना, साईलिशिया, थूजा, रसटॉक्स, सीपीया, जेलसिमियम, सैबाल सेरुलेटा, आर्सेनिक एल्बम आदि।

कोरोना काल के मध्य, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए भारत सरकार आयुष मंत्रालय की ओर से भी इसको लेने की सिफारिश की गई थी, इम्यूनिटी बढ़ाने, कमजोरी व सर्दी-जुकाम में सहायक है।

प्रो. डॉ. राजीव सक्सेना, आचार्य एवं वरिष्ठ होम्योपैथ, स्वास्थ्य कल्याण होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं रिसर्च सेन्टर जयपुर।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता से नया खतरा



अशोक कुमार

कृत्रिम बुद्धिमत्ता में समाज के लिए कई संभावित लाभ भी हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और परिवहन में सुधार के लिए किया जा सकता है। इसका उपयोग जलवायु परिवर्तन और गरीबी जैसी वैश्विक समस्याओं को हल करने में भी मदद करने के लिए किया जा सकता है। हालांकि, अध्येत्यों और समाचारों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़े कुछ खतरों पर प्रकाश डाला गया है:

अनिर्वाचित बुद्धिमत्ता: कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता इतना बुद्धिमान हो सकता है कि वह मानव नियंत्रण से बाहर हो जाए और अपना खुद का एजेंडा बना ले। यह मानवता के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है, क्योंकि कृत्रिम बुद्धिमत्ता हमारे बुनियादी ढांचे पर हमला कर सकता है, गलत सूचना फैला सकता है या यहां तक कि युद्ध भी छेड़ सकता है।

नौकरियों का नुकसान: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण कई नौकरियां खत्म हो सकती हैं, क्योंकि मशीनें उन कार्यों को करने में सक्षम हो जाती हैं जो वर्तमान में मनुष्यों द्वारा किए जाते हैं। इससे व्यापक बेरोजगारी और सामाजिक अशांति हो सकती है।

कुछ नौकरियों जिन पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सबसे अधिक प्रभाव पड़ने की संभावना है, उनमें शामिल

हैं: डेटा प्रविष्टि: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम डेटा को मानवों की तुलना में तेजी से और अधिक सटीक रूप से दर्ज कर सकते हैं।

मैनुअल श्रम: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट पहले से ही निर्माण और भंडारण जैसे उद्योगों में कई कार्यों को स्वचालित कर रहे हैं।

ग्राहक सेवा: चैटबॉट और वरचुअल असिस्टेंट पहले से ही कई ग्राहक सेवा कार्यों को संभाल रहे हैं, जैसे कि प्रश्नोत्तर और तकनीकी सहायता प्रदान करना।

परिवहन: सेल्फ-ड्राइविंग कारें और ट्रक टैक्सी ड्राइवरों, ट्रक ड्राइवरों और बस चालकों जैसे कई परिवहन कार्यों को स्वचालित कर सकती हैं। हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता नौकरियों को खत्म करने के साथ-साथ नई नौकरियां भी पैदा करेगा।

कुछ नई नौकरियां जिनकी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के उदय के साथ मांग बढ़ने की संभावना है, उनमें शामिल हैं:

कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञ: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित, बनाए रखने और सुधारने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी।

डेटा वैज्ञानिक: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को प्रशिक्षित और अनुकूलित करने के लिए बड़े डेटा सेट का विश्लेषण करने के लिए डेटा वैज्ञानिकों की आवश्यकता होगी।

रोबोटिक्स इंजीनियर: कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित रोबोट को डिजाइन, निर्माण और रखरखाव करने के लिए रोबोटिक्स इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।

नैतिकताविद: यह सुनिश्चित करने के लिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग जिम्मेदारी से और नैतिक रूप से किया जा रहा है, नैतिकताविदों की आवश्यकता होगी। यह भी संभावना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

हानिकारक तरीके से न किया जाए।

जागरूकता बढ़ाना: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में जनता में जागरूकता बढ़ाना महत्वपूर्ण है। इससे लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद मिल सकती है।

शिक्षा और प्रशिक्षण: लोगों को कृत्रिम बुद्धिमत्ता के साथ काम करने और इसके संभावित खतरों को कम करने के लिए आवश्यक कौशल के साथ शिक्षित और प्रशिक्षित करना महत्वपूर्ण है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के भविष्य अनिश्चित है, लेकिन यह स्पष्ट है कि इसमें समाज के लिए गहरा प्रभाव डालने की क्षमता है। यह महत्वपूर्ण है कि हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता के संभावित जोखिमों और लाभों का सावधानीपूर्वक मूल्यांकन करें और यह सुनिश्चित करने के लिए नियंत्रण का काम करें कि इसका उपयोग अच्छे के लिए किया जाए।

पूर्वाग्रह और भेदभाव: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम पूर्वाग्रहित हो सकते हैं, जो कुछ समूहों के लोगों के साथ भेदभाव का कारण बन सकता है। उदाहरण के लिए, एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता -संचालित भर्ती प्रणाली कुछ उम्मीदवारों को गलत तरीके से खारिज कर सकती है यदि वह अतीत में भेदभावपूर्ण डेटा पर प्रशिक्षित है।

नैतिक दिशा निर्देश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

गोपनीयता का उल्लंघन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग दुर्भावनापूर्ण उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य हथियार विकसित करना या साइबर हमले करना। इन खतरों को कम करने के लिए कई कदम उठाए जा सकते हैं:-

नैतिक दिशा निर्देश: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास और उपयोग के लिए नैतिक दिशानिर्देशों को विकसित और कार्यान्वित करना महत्वपूर्ण है। इन दिशानिर्देशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग सुरक्षित, जिम्मेदार और नैतिक तरीके से किया जाए।

नियमन: कृत्रिम बुद्धिमत्ता सिस्टम को विकसित और उपयोग करने वाली कंपनियों को विनियमित करने के लिए कानूनों और नीतियों को विकसित करना महत्वपूर्ण है। ये कानून यह सुनिश्चित करने में मदद कर सकते हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग

इस खतरों को कम करने के लिए

राशिफल मंगलवार 2 जुलाई, 2024



पंडित अनिल शर्मा

आषाढ मास, कृष्ण पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत् 2081, कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 4:40 तक, घृति योग दिन 11:16 तक, बालव करण प्रातः 8:43 तक, चन्द्रमा दिन 11:14 से वृष राशि में संचार करेगा। ग्रह स्थिति: सूर्य-मिथुन, चन्द्रमा-मेष, मंगल-मेष, बुध-कर्क, गुरु-वृष, शुक-मिथुन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में। आज सर्वार्थ सिद्धि योग सूर्योदय से रात्रि 4:40 तक है। त्रिपुष्कर योग प्रातः 8:43 से रात्रि 4:40 तक रहेगा। महापात योग दिन 1:06 से सांय 7:10 तक है। आज एकादशी व्रत है। श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:06 से 10:48 तक, लाभ-अमृत 10:48 से 2:13 तक, शुभ 3:55 से 5:38 तक। राहकाल: 7:30 से 9:00 तक। सूर्योदय 5:41, सूर्यास्त 7:20

मेष मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। व्यक्तिगत प्रयासों से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है। आज आवश्यक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

वृष मित्रों/रिश्तेदारों से संबंध खराब हो सकता है। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्य-पश्चात व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।

मिथुन आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। दिन के मध्य-पश्चात आर्थिक मामलों में परेशानी हो सकती है। अनावश्यक धन खर्च होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए भागदंड रहेगी।

कर्क व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। चलेते कार्यों में प्रगति होगी। नवीन कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। दिन के मध्य-पश्चात संभावित खोस से बच पाएंगे। आय में वृद्धि होगी।

सिंह नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आशासन प्राप्त होगा। अटकें हटू कार्य बनने लगेंगी। दिन के मध्य-पश्चात व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक अनुबंध प्राप्त होंगे।

कन्या आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। शुभ कार्यों में व्ययधान सामने आ सकते हैं। दिन के मध्य-पश्चात अटकें हटू कार्य बनने लगेंगी।

तुला अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। विवादिता मामलों से राहत मिल सकती है। अटकें हटू कार्य बनने लगेंगी। दिन के मध्य-पश्चात परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

वृश्चिक मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मन:स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं।

धनु परिवारों के व्यवहार के कारण मन खिन्न हो सकता है। आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी। दिन के मध्य-पश्चात अटकें हटू कार्य बनने लगेंगी। विवादिता मामलों से राहत मिलेगी।

मकर घर-परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। व्यावसायिक अड़चनें दूर होने लगेंगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

कुंभ परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। मित्रों/भाई-बंधुओं के सहयोग से मनोबल बढ़ेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक वार्ता सफल होगी।

मीन आर्थिक कारणों से अटकें हटू कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ बन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित वार्ता के लिए दिन अच्छा है। घर-परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेंगी



Pacific Medical University, Udaipur



(Established by the Rajasthan state legislative assembly by an Act No. 6 of 2014 dated March 04, 2014 & approved under section 2(f) of the UGC Act, 1956)

DISCOVER YOUR FUTURE WITH PMU

Pacific Medical University brings you a brilliant opportunity to make a career in medical profession. **Enroll Now.**

Take care of those who need the care most.

Take care of your career.

**100%
JOB
ASSURANCE**

**ADMISSION
OPEN 2024-25**



COURSE OFFERED

PACIFIC DENTAL COLLEGE & RESEARCH CENTER

BDS 4 Year
Eligibility : 10+2 in PCB & NEET

MDS 3 Years
Eligibility : BDS & NEET

PACIFIC COLLEGE OF PHYSIOTHERAPY

B.P.T. 4 Years
Eligibility : 10+2 in (PCB)

M.P.T. 2 Years
Eligibility : B.P.T. with minimum 50% marks

MEDICAL & ALLIED

M.Sc. in Medical 3 Years
• Anatomy • Physiology • Microbiology
• Biochemistry • Pharmacology
Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

M.Phil Clinical Psychology 3 Years
Eligibility : MBBS, BDS, BPT, BOT, BSLP, B.Pharma, B.Sc.

FACULTY OF LIFE SCIENCE

B.Sc. in Clinical Embryology 3 Years
Eligibility : 10+2 Class with PCB

M.Sc. in Clinical Embryology 4 Sem.+
1 Year Internship
Eligibility: B.Sc. in any discipline of Life Sciences, Biosciences, Bachelor's degree in any of Physic, Biological Sciences, M.B.B.S, BDS, BAMS, BHMS, B.Pharma.

TIRUPATI SCHOOL OF NURSING

GNM 3 Years
Eligibility : 10+2 in (PCB)

PACIFIC COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPY

BOT 4 Years + 6 Months Internship
Eligibility : 10+2 in (PCB)

MOT 2 Years
Pediatrics, Neuroscience, Mental Health, Orthopedics, Hand Rehabilitation
Eligibility : Passed BOT with minimum 50% marks

PH.D. & RESEARCH PROGRAMME

Minimum 3 Years
Eligibility : Post Graduation with 55% marks

1. Ph.D. (Medical)
2. Ph.D. (Nursing)
3. Ph.D. (Physiotherapy)
4. Ph.D. (Dentistry)
5. Ph.D. (Clinical Embryology)
6. Ph.D. (Clinical Psychology)
7. Ph.D. (Occupational Therapy)
8. Ph.D. (Paramedical Sciences)

PACIFIC COLLEGE OF PARAMEDICAL SCIENCES

DIPLOMA Duration : 2 Year
Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology
2. Radiation Technology
3. Operation Theater Technology
4. Cath Lab. Technology
5. Orthopedic Technology
6. Dialysis Technology
7. Emergency & Trauma Care Technology
8. ECG Technology
9. Blood Bank Technology
10. Endoscopy Technology
11. EEG Technology
12. Ophthalmic Technology

BACHELOR Duration : 3 Year + 1 Year
Eligibility : 10+2 in PCB/PCM- Guidelines as per RPMC

1. Medical Laboratory Technology
2. Radiation / Medical Imaging Technology
3. Ophthalmic Technology
4. Operation Theater Technology
5. ECG Technology
6. Endoscopy Technology
7. Emergency & Trauma Care Technology
8. Dialysis Technology
9. EEG Technology
10. Orthopaedic Technology

For More Detail 7877936755

PACIFIC MEDICAL UNIVERSITY, UDAIPUR

Bhilo ka bedla, (Amberi) Udaipur, Rajasthan | Ph. Contact : +91 9672978095, 9587892883

info@pacificmedicaluniversity.ac.in

www.pacificmedicaluniversity.ac.in

फर्जी मार्कशीट मामले में प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी गिरफ्तार

राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हुई थी हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा-2022

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित हिंदी लेक्चरर भर्ती परीक्षा 2022 में फर्जी मार्कशीट के मामले में एस.ओ.जी. ने जोधपुर से एक प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर सोमवार को अजमेर स्थित कोर्ट में पेश किया, जहां से कोर्ट ने आरोपियों को चार दिन की रिमांड पर सौंप दिया। एसओजी की पूछताछ में दोनों आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट का सत्यापन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कराना काबूला है। एसओजी अब तक मामले में 9 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जुटी है।



एस.ओ.जी. ने जोधपुर से एक प्राइवेट टीचर और बजरी कारोबारी को गिरफ्तार कर अजमेर स्थित कोर्ट में पेश किया।

एस.ओ.जी. के एडिशनल एसपी मुकेश सोनी ने बताया कि जोधपुर निवासी सोमेश गोदारा और पाली निवासी सुनील बिस्नोई को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को सोमवार

को कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया है। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट मेवाड़ यूनिवर्सिटी से वैरिफिकेशन करवाना सामने आया है, हालांकि एसओजी दोनों से पूछताछ में जुटी है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी सुशील बिस्नोई बजरी का तथा दूसरा

एस.ओ.जी. ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश कर चार दिन के रिमांड पर लिया

पूछताछ में आरोपियों ने फर्जी डिग्री की मार्कशीट का सत्यापन मेवाड़ यूनिवर्सिटी से कराना काबूला

आरोपी सोमेश जोधपुर के एक निजी स्कूल में अध्यापक का काम करता है। उन्होंने मामले में पूछताछ के बाद अन्य गिरफ्तारियों होने की संभावना भी जताई है।

एसओजी के ए.एस.पी. सोनी ने बताया कि एस.ओ.जी. की जांच में सामने आया कि पूर्व में गिरफ्तार डॉ. सुरेश बिस्नोई आरोपी ब्रह्मकुमारी व कमला कुमारी के लिए सत्यापन पत्र बनवाने के लिए बजरी कारोबारी सुनील बिस्नोई से कांटेक्ट में था। ब्लाट्सएस के जरिए ही ब्रह्मकुमारी व कमला कुमारी के उक्त सत्यापन पत्र सहित अन्य दस्तावेज के बारे में ब्लाट्सएस पर चैट की गई। आरोपी ब्रह्मकुमारी को जिस दिन व्यक्तिगत रूप से आयोग ने बुलाया था उसी दिन भी दोनों के बीच कि बरसती पानी के खुले होंद में दो हिरण डूब गये। वहीं एक चिकारा हिरण की दीवार से टकराने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से तीनों के शवों को दफनाया। वन्यजीव प्रेमी सुरेशसिंह भाटी ने बताया कि पीछे आवाज कुत्ते भागी। आवाज कुत्ते से बचने के लिए चिकारा हिरण भागा मगर चारों तरफ रिन्यू सोलर कंपनी की दीवार होने के कारण चिकारा भाग नहीं सका और दौड़ते हुए दीवार से टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

25 हजार की रिश्वत लेते दो कांस्टेबल गिरफ्तार

जोधपुर, (कासं)। जोधपुर के खांडाफल्सा थाने के दो कांस्टेबलों को एसीबी ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है। दोनों कांस्टेबलों ने मुकदमे में मदद के नाम पर मामले में एएसओजी के नाम पर रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहराणा ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर एसीबी के उप महानिदेशक हरेन्द्र महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोबसिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप की कार्रवाई कर 25 हजार की रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा।

मुकदमे में मदद के एवज में जांच अधिकारी के नाम पर रिश्वत मांगी थी

मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी पाली की द्वितीय इकाई ने जोधपुर में कार्रवाई कर खांडाफल्सा थाने के कांस्टेबल जैमल राम व कांस्टेबल नरेन्द्र कुमार को परिव्रादी से 25 हजार रुपय रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा। एसीबी महानिदेशक डॉ रवि प्रकाश मेहराणा ने बताया कि एसीबी पाली की द्वितीय इकाई को शिकायत मिली थी। शिकायत में बताया था कि जांच अधिकारी के नाम पर मामले में मदद के लिए रिश्वत मांगी जा रही है। जिस पर एसीबी के उप महानिदेशक हरेन्द्र महावर के सुपरविजन में पाली इकाई के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोबसिंह के नेतृत्व में टीम ने ट्रेप की कार्रवाई कर 25 हजार की रिश्वत लेते रो हाथों पकड़ा।

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मुख्यमंत्री के भाषण के दौरान बत्ती गुल हुई

अजमेर, (कासं)। देश भर में एक जुलाई से तीन नए कानून लागू हुए, जिसको लेकर जवाहर रंगमंच पर सोमवार को संभाग स्तरीय कार्यक्रम

देश में लागू हुए तीन नए कानून पर अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे सीएम भजनलाल शर्मा

आयोजित हुआ। कानूनों की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े। सीएम शर्मा ने जैसे ही भाषण शुरू किया वैसे ही बिजली चली गई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की ओर से प्रदेश भर में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नए कानून की समापन कर नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव किए गए कानूनों की जानकारी प्रजटेशन के माध्यम से दी



जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में सीएम भजनलाल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम से जुड़े।

लागू होने को लेकर ही सोमवार को अजमेर में संभाग स्तरीय कार्यक्रम जवाहर रंगमंच पर आयोजित हुआ। समारोह में सीएलजी सदस्य, पुलिस मित्र, सुरक्षा सखी, कानूनों के जानकार सहित नागरिकों ने भाग लिया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अजमेर रेंज आईजी लता मनोज ने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है, क्योंकि तीन औपनिवेशक काल के कानूनों को समापन कर नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि बदलाव किए गए कानूनों की जानकारी प्रजटेशन के माध्यम से दी

शर्मा ने कानूनों की जानकारी देने के लिए जैसे ही अपना संबोधन शुरू किया वैसे ही बिजली गुल हो गई। जवाहर रंगमंच पर मौजूद संभागीय आयुक्त महेश चंद्र शर्मा, आईजी लता मनोज, कलेक्टर भारतीय दीक्षित, एसपी देवेन्द्र बिस्नोई सहित अन्य आला अधिकारियों सक्तें में आ गए। सीएम के संबोधन के अंतिम क्षण में बिजली आई। वहीं आईजी के संबोधन के दौरान बिजली चली गई। जिससे टाटा पावर की निष्क्रियता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

नये आपराधिक कानूनों के तहत पाली में पहली एफआईआर दर्ज

जयपुर, (नि.सं.)। देश में एक जुलाई से लागू हुए आपराधिक कानूनों के तहत प्रदेश में पाली के सादड़ी पुलिस थाने में पहली एफआईआर (नम्बर 0117) सोमवार को दर्ज की गई।

महानिदेशक पुलिस, साइबर अपराध एवं एससीआरबी हेमंत प्रियदर्शी ने बताया कि यह एफआईआर आराधना नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 के तहत रस्ता रोककर मारपीट करने एवं सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटना के संबंध में दर्ज की गई।

यह घटना सुबह 7.30 बजे की है। इसमें भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 115 (2), 126 (2), 324 (4) एवं 324 (5) में प्रकरण दर्ज किया गया। प्रियदर्शी ने बताया कि प्रदेश में नए आपराधिक कानूनों की न्याय प्रणाली के तहत दोनों संहिताओं बीएनएसएस एवं बीएनएस का सुचारू क्रियान्वयन आरम्भ कर दिया गया है।

पुराने कानूनों के स्थान पर नए कानूनों में सिस्टम का सही तरीके से ट्रांजिशन हो गया है। सीसीटीएनएस पर बीएनएस एवं बीएनएसएस का इंटीग्रेशन पूरा हो चुका है। प्रदेश के नागरिकों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी।

गोविंद गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन, समाज सेवा, देश सेवा के एक संस्थान रहे : राज्यपाल मिश्र

सामूहिक सदप्रयासों से विश्वविद्यालय का कायाकल्प होगा : कुलपति ठाकुर

बांसवाड़ा, (नि.सं.)। जनजाति केवल सामाजिक और विषयगत संप्रत्यय नहीं, अपितु एक जीवन-पद्धति और दर्शन है, जिसमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के साथ समग्र समाज, देश यहां तक की समस्त चराचर जगत के सर्वतोमुखी कल्याण के बीच तंत्र छिपे हैं। इसी जनजाति बाहुव्युषी राजस्थान की भूमि में प्रातः स्मरणयोगी गोविंद गुरु के आविर्भाव ने पूरे समाज और देश की दिशा ही बदल दी और सदियों तक जीवन के परिष्कार, कुरीतियों से दूर होने एवं अपना सर्वस्व समर्पित करने के वे जीवन मंत्र दिए हैं जो आज भी न केवल प्रासंगिक हैं बल्कि आज भी सभी को प्रेरणा देते हैं। ये विचार सूत्र राजस्थाल और कुलाधिपति कलराज मिश्र ने गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस और विविध कार्यों के लोकार्पण अवसर पर मुख्य अतिथि रूप में व्यक्त किए।

मिश्र ने गोविंद गुरु और चाण्ड-कांठल क्षेत्र के स्वतंत्रता-सैनानिधि, अमर शहीदों के त्याग और बलिदान प्रति श्रद्धांजलि देते स्पष्ट किया कि गोविंद गुरु एक व्यक्ति नहीं बल्कि जीवन, समाज-सेवा, देश-सेवा के एक

राज्यपाल कलराज मिश्र ने गोविंद गुरु जनजातीय वि.वि. में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित किया।

संस्थान रहे जिन्होंने तत्कालीन समय में शिक्षा और जागरूकता का प्रसार, समाज-सुधार, कुरीतियों के उन्मूलन, स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा और संस्कृतिकरण संरक्षण के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। पूरे अंचल में गोविंद गुरु का योगदान गहरा और व्यापक है। राज्यपाल मिश्र ने विश्वविद्यालय स्थापना दिवस को आत्मबलोजन का



पर्व बताते हुए कहा कि हम अतीत में किए कार्यों का मूल्यांकन करें, भविष्य को पट सक्ती है। हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वर-प्रदत्त संविधान है। हमें जो संरक्षण की पद्धति है, उससे सीख लेने की जरूरत है। जनजातीय क्षेत्र की अपनी परम्पराएँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती आ रही हैं। आज विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि इस संरक्षित धरोहर को सहेजे और

आज भी विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ है। शिक्षा सभी तरह की दूरियों को पाट सकती है। हमारी वैदिक संस्कृति ईश्वर-प्रदत्त संविधान है। हमें जो संरक्षण की पद्धति है, उससे सीख लेने की जरूरत है। जनजातीय क्षेत्र की अपनी परम्पराएँ हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित होती आ रही हैं। आज विश्वविद्यालय का यह दायित्व है कि इस संरक्षित धरोहर को सहेजे और

आवश्यकता है कि इसके सर्वांगीण विकास में सभी योगदान करें। राज्यपाल ने विश्वविद्यालय के नौवें स्थापना दिवस पर तीन कार्यों का ऑनलाइन लोकार्पण किया। विश्वविद्यालय में गुलाब वाटिका, पूर्व सांसद कनकमल कटार टाटा सांसद निधि मद से बनी कैटीन और विश्वविद्यालय के वित्त से निर्मित सभागार का वरचुअल लोकार्पण किया। इसके साथ ही राज्यपाल ने माह अक्टूबर में गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय और पौरसिक विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होने वाले 75 वें ऑल इंडिया कॉमर्स कॉन्फ्रेंस के बोधार का भी ऑनलाइन विमोचन किया।

कार्यक्रम का संचालन प्रभारी सम्बद्धा डॉ नरेंद्र पानेरी ने और आभार प्रदर्शन कुलसचिव राजेश जोशी ने किया। कार्यक्रम में राजभवन के सभी अधिकारी, विश्वविद्यालय के सभी अधिकारी, राजकीय एवं निजी महाविद्यालयों के प्राचार्यों, नगर से पधारे गणमान्य शिक्षाविदों, संस्कृतिधर्मियों, संकाय सदस्यों और इंजीनियरिंग कॉलेज-कैम्पस विद्यार्थियों ने सहभागिता की।

नीट-यूजी 2024 के संशोधित रिजल्ट्स जारी

रिजल्ट्स में एलन के 23 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया रैंक-1

कोटा, (नि.सं.)। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से सोमवार को नीट-यूजी 2024 के संशोधित रिजल्ट्स जारी कर दिए गए। इन परिणामों में एलन केंद्रिय इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट्स ने श्रेष्ठता साबित की है। एलन के निदेशक डॉ. बृजेश माहेश्वरी ने बताया कि संशोधित नीट परिणामों में टॉप आल इंडिया रैंक-1 परफेक्ट स्कोर और टॉप-100 में एलन स्टूडेंट्स की संख्या देश में सर्वाधिक है। माहेश्वरी ने बताया कि एनटीए की ओर से जारी संशोधित परिणामों में एलन

के 23 स्टूडेंट्स ने 720 में से 720 परफेक्ट स्कोर प्राप्त कर संयुक्त रूप से ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की है। इनमें 15 क्लासरूम तथा 8 स्टूडेंट्स डिस्टेंस लर्निंग से हैं।

टॉप 100 में 37 स्टूडेंट्स एलन से हैं, जिसमें 27 क्लासरूम तथा 10 डिस्टेंस लर्निंग से एलन से जुड़े हैं। संशोधित परिणामों में परफेक्ट स्कोर प्राप्त करने वाले 15 एलन क्लासरूम स्टूडेंट्स में वेद शिंदे, माजिन मंसूर, रूपायन मंडल, प्राचिता, शैलजा, दिव्यांश, शशांक शर्मा, आर्यन शर्मा, कहकशा परवीन, कृष्णमूर्ति पंकज सिवाल, वेद पटेल, माने नेहा कुलदीप, रितिक राव, तेजस सिंह और अभिनव किसना शामिल हैं। इसके साथ ही तथागत अवतार, आर्दीप दाता, इशा कोटारी, उय्यमा मालवारी व मानव प्रियदर्शी एलन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज से तथा आदर्श सिंह, दर्शन पाण्डे, शिखिन गोयल ने एलन से डिस्टेंस लर्निंग से जुड़कर ऑल इंडिया रैंक-1 प्राप्त की।

दो हिरण और एक चिकारा की मौत

जैसलमेर, (नि.सं.)। जैसलमेर जिले के देगराय ओरण में सोमवार को तीन हिरणों की दर्दनाक मौत हो गई। दो हिरण पानी के खुले होंद में डूब गये, वहीं एक चिकारा हिरण की दीवार से टकराने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने वन विभाग की मदद से तीनों के शवों को दफनाया। वन्यजीव प्रेमी सुरेशसिंह भाटी ने बताया कि पीछे आवाज कुत्ते भागी। आवाज कुत्ते से बचने के लिए चिकारा हिरण भागा मगर चारों तरफ रिन्यू सोलर कंपनी की दीवार होने के कारण चिकारा भाग नहीं सका और दौड़ते हुए दीवार से टकराने से उसकी दर्दनाक मौत हो गई।

सात विषयों की मॉडल उत्तर कुंजी जारी

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक (कॉलेज शिक्षा विभाग) प्रतियोगी परीक्षा-2023 के सात विषयों एबीएसटी, इंग्लिश, राजस्थानी, एल्साइड आर्ट, लाइब्रेरियन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन तथा होम साइंस विषयों की मॉडल उत्तर कुंजियां आयोग की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। यदि किसी अस्थिर्था को इन मॉडल उत्तर कुंजियों पर कोई आपत्ति हो तो निर्धारित शुल्क के साथ 3 जुलाई को रात्रि 12 बजे तक अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है।

कार्यालय नगर परिषद मुजानगढ़ (चूरू) राजस्थान
E-mail id:- nps222419@gmail.com Phone no. 01568-222419
दिनांक :- 27.06.2024

क्रमांक :- न.प.सु./सफाई शाखा/2024/1508

ई-निविदा सूचना-2024-25 :-

नगर परिषद मुजानगढ़ द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये उपयुक्त सक्षम श्रेणी के राज्य सरकार के विभागों में प्रजीकृत ठेकेदारों/फर्मों से निविदा दिनांक 15.07.2024 तक आमंत्रित की जाती है। निविदा अप्रामाणिक को वेबसाइट <https://eproc.raajasthan.gov.in> से डाउनलोड कि जा सकता है एवं निविदा से संबंधित विस्तृत विवरण वेबसाइट www.sppp.raj.gov.in पर प्राप्त की जा सकती है। निविदा का बीड क्रमांक **DLB2425SLOB01870** है। कार्यालय समय में किसी भी कार्य दिवस को नगर परिषद मुजानगढ़ के कार्यालय में एवं सूचना बोर्ड पर देखी जा सकती है।

राज.सं.वा.व/सी/24/1456 आयुक्त, नगर परिषद मुजानगढ़

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
प्रथम तल, स्वास्थ्य भवन, भीममाल रोड, जालौर दिनांक-25.06.2024

क्रमांक-अ.अ./वि.एवं.स्वा./2024-25/581-89

ई-निविदा सूचना संख्या 03/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से इस खण्ड के अन्तर्गत विभिन्न चिकित्सालयों पर रु. 18.35 लाख के 2 सिविल कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं राज्य सरकार/केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों/केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग/डाक एवं दूर संचार विभाग/रेलवे इत्यादि में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। निविदा से संबंधित विवरण डीआरआई/बीआर की वेबसाइट www.dipronline.org, <http://eproc.raajasthan.gov.in> व विभागीय वेबसाइट <http://rajswasthya.nic.in> पर देखा जा सकता है।

1. NRH2425WSOB00338, 2. NRH 2425WSOB00339

(राज्यीयसिंह कच्छवाह)
अधिशाषी अभियन्ता
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जालौर

DIPR/C/5062/2024

कार्यालय नगर परिषद ब्यावर
Tel.No. 01462-258665 Email Add:- npbeawar@gmail.com
दिनांक - 28.06.2024

क्रमांक / न/पथा / संस्थापन / 2024-25 / 3495

ई-दर सविदा सूचना

निम्नांकित विवरण के अनुसार ई-दर सविदा ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल राजस्थान पर दिनांक 08.07.2024 को प्रातः 11:00 बजे तक आमंत्रित है। विस्तृत शर्तें ई-दर सविदा फॉर्म के साथ संलग्न है। यह दस्तावेज एस.पी.पोर्टल पर एनएम ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल पर संभाल्य है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित लागत	घरोहारा राशि	दर सविदा फॉर्म शुल्क	दर सविदा प्रोसेसिंग शुल्क
1.	COMPUTER OPERATOR SERVICES RATE CONTRACT	30.73 लाख	61.480	1000	500

Nib Code : DLB2425A0622
BID No.: DLB2425SLRC01961

समापति आयुक्त
नगर परिषद ब्यावर नगर परिषद ब्यावर

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
दिनांक-01.07.2024

आयोग द्वारा विभिन्न विभागों के लिए 02 विभागों के तहत ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किया जाते हैं। उक्त विभागों के तहत विभाग पदों की शैक्षणिक योग्यता, पदों की संख्या, वार्षिक वेतन, आवेदन प्रक्रिया, आयु सीमा व अन्य विस्तृत जानकारी के लिए अग्रणी आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध प्रत्येक विस्तृत विवरण का अवलोकन करी व उक्त विभागों के तहत विभाग पदों हेतु विभाग का नाम, पद नाम, विवरण संख्या, पदों की संख्या, आवेदन अर्जा व अन्य विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	विभाग का नाम	पद का नाम	विवरण संख्या	पदों की संख्या	आवेदन अर्जा
1	कंप्यूटर विभाग	उप कंसल्टेंट	04/2024-25	73 (NS&S)	08.07.2024 से 06.08.2024
2	कौशल नियोजन एवं उन्नति विभाग	उपाचार्य/ज्यूरिफिक ऑफिसियल प्रशिक्षण संयोजक	05/2024-25	36	10.07.2024 से 08.08.2024

अन्य विवरण व सूचना (सहायक) पंजीकृत शुरु, आवेदन प्रक्रिया, प्रमाण पत्रों से संबंधित सूचना एवं परीक्षा से संबंधित अन्य विवरण व सूचना के लिए आवेदन को वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम एवं संशोधित परीक्षाओं हेतु आवेदन व परीक्षा संबंधी विषयों पर निर्देश तथा सार्वजनिक सेवा निम्नो व/अथवा आवश्यक रूप से कर लें। इसके अतिरिक्त उक्त परीक्षा के संबंध में समय-समय पर जारी सूचनाओं का अवलोकन आयोग की वेबसाइट <https://pssc.raajasthan.gov.in> पर कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार के मार्ग निर्देशन/सूचना/संपर्कण हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के परिसर में स्थित स्वागत कक्ष पर व्यक्तिगत रूप से अथवा दूरभाष से -0145-2635212 एवं 2635200 पर संपर्क किया जा सकता है। समस्त पत्र व्यवहार सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर को सम्बोधित किया जाए।

राज निवास मेहता, सचिव

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड पोकरण
दिनांक-25.06.2024

क्रमांक-उ.अ./पौक/2024-25/380

निविदा सूचना संख्या 02/2024-25

राजस्थान के राज्यपाल महोदय की ओर से भवन निर्माण/संरक्षक निर्माण कार्यों हेतु उपयुक्त श्रेणी में सार्वजनिक निर्माण विभाग राजस्थान में पंजीकृत संवेदकों के समकक्ष हो, से निर्माण कार्य हेतु निर्धारित प्रथम में ई-टेंडरिंग प्रक्रिया ऑन लाईन निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं।

ऑन लाईन निविदा निम्नो की पूर्ण तारीख 02.07.2024 से 12.07.2024 तक सायं 6.00 बजे ऑन लाईन निविदा जमा कराने की तारीख 02.07.2024 से 12.07.2024 तक सायं 6.00 बजे

निविदा से सम्बंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.dipronline.org एवं निविदा दस्तावेज का विवरण वेबसाइट <https://eproc.raajasthan.gov.in> एवं <http://sppp.raj.gov.in> पर देखा जा सकता है। समपूर्ण निविदा प्रक्रिया <http://eproc.raajasthan.gov.in> पर ऑनलाइन निविदाएं आमंत्रित की जायेंगी।

NIB CODE PW02425A0390, PW02425WSRC01461, PW02425WSRC01462, PW02425WSRC01464, PW02425WSRC01467, PW02425WSRC01470, PW02425WSRC01471, PW02425WSRC01473, PW02425WSRC01478, PW02425WSRC01479, PW02425WSRC01480 (हर्षवर्धन हाथी)

DIPR/C/5102/2024 अधिशाषी अभियन्ता, सा.नि.वि. खण्ड पोकरण

कार्यालय नगर निगम, अजमेर
पृथ्वीराज मार्ग, अजमेर (राजस्थान) फोन नं. 0145-2429971, 2429920

क्रमांक :-MEW/2024-25/37 दिनांक- 28.06.2024

ई-निविदा सूचना संख्या 07/2024-25 :-

नगर निगम अजमेर की ओर से नगर निगम अजमेर एवं राजकीय विभाग में उपयुक्त श्रेणी में पंजीकृत संवेदकों को कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग, डाक एवं दूरसंचार, रेलवे या अन्य राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार के अधिकृत संगठनों को राजस्थान सरकार के उपयुक्त श्रेणी के संवेदकों के समकक्ष हो (निविदा पात्रता पंजीकरण के नियमों के अनुसार मान्य) जो निर्धारित प्रथम में ई-प्रोक्यूरमेंट प्रक्रिया से सिविल निर्माण कार्य हेतु ऑनलाइन ईनिविदा आमंत्रित की जाती है।

निविदा कार्यों की कुल लागत राशि 40.94 लाख (01 करोड़)

ऑनलाइन निविदा प्रारंभ डाउनलोड/अपलोड करने की अवधि Date 29.06.24 से 08.07.24 को 6.00 PM तक

Technical निविदा खोलने की तिथि व समय Date 09.07.24 को 12.30 PM पर

Financial निविदा खोलने की तिथि सकलतम निविदादाता को उचित माध्यम के द्वारा सूचित कर दिया जायेगा।

विस्तृत विवरण वेबसाइट <http://sppp.raajasthan.gov.in> एवं <http://www.eproc.raajasthan.gov.in> पर एवं नगर निगम के निर्माण विभाग के कार्यालय में भी देखी जा सकती है।

Nib Code :- ANN2425A0404 UB No :- ANN2425WSOB00049
राज.सं.वा.व/सी/24/1468 अधिशाषी अभियन्ता

जयपुर विकास प्राधिकरण
अधिसूचना संकित, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

क्रमांक: जविशा/अ.अ.(मु.सु.)/2024/डी-178 दिनांक: 28.06.2024

निविदा सूचना

निविदा सूचना विभाग/अधि.अधि. (मु.सु.अलय) / 02 / 2024 - 25

जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा 'Various renovation and development work at JDA flats Lal Kothi, Malviya Nagar and Sethi colony, JDA, Jaipur for the Year 2024-2025' जिसकी अनुमानित लागत राशि ₹161.84 लाख के लिए ऑनलाइन विवरण दिनांक 29.06.2024 को प्रातः 9:30 बजे से आमंत्रित की जाती है। निविदा बोली का ऑनलाइन आवेदन व भुगतान जयपुरा पोर्टल पर करने की तिथि 09.07.2024 को सायं 6.00 बजे तक है। निविदा बोली के दस्तावेजों का विस्तृत विवरण www.sppp.raj.gov.in, www.eproc.raajasthan.gov.in एवं www.jda.urban.raajasthan.gov.in पर देखा जा सकता है। (UBN No. JDA 2425WSOB0102)

निविदा में भाग लेने वाले को निम्न शर्तों की पूर्ति करनी होगी।

1. निविदादाता जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट www.jda.urban.raajasthan.gov.in पर पंजीकृत एवं एवं निविदा में भाग लेने के लिए बोलीदाता को आवेदन करने के लिए दस्तावेज शुल्क, अमानत राशि, आर.ए.ई.एस. एवं प्रोसेसिंग शुल्क ऑनलाइन जमा करनी होगी।

2. ऑनलाइन निविदा प्रस्तुत करने के लिए निविदादाताओं का राजस्थान सरकार के ई-प्रोक्यूरमेंट पोर्टल www.eproc.raajasthan.gov.in पर पंजीकृत हो।

Raj.Samwad/C/24/1522 अधिशाषी अभियन्ता

